कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 ( ) रसद/केरो.आ./2018/413 दिनांक :- 10/07/2018

उप–आवंटन आदेश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आवंटन आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2018 जयपुर दिनांक 04/07/2018 द्वारा जिले को माह जुलाई 2018 के लिये 444 केएल केरोसीन का आवंटन जारी किया गया है। जिले के थोक विक्रेताओं के पास 14.90 केएल केरोसीन पूर्व का अवशेष स्टॉक में उपलब्ध है। इसमे 2.00 केएल एट योर डोर, 5.95 केएल त्रिपुरा ऐजेन्सी, 4.83 केएल सुमतिलाल हजारीमल, 0.00 केएल सावरिया केरोसीन और 2.12 केएल सिद्धि विनायक के पास अवशेष है। इस प्रकार माह जुलाई 2018 में वितरण हेतु 458.90 केएल केरोसीन उपलब्ध होगा। वितरण स्केल बिना घरेलू गैस कनेक्शनधारी राशनकार्ड पर 2.5 लीटर प्रतिमाह निर्धारित की गई है। श्रीमान शासन सचिव महोदय की अधिसूचना क्रमांक एफ 45 (75) खा.ले./नीति/केरो/2015–16 जयपुर दिनांक 02.07.2018 द्वारा केरोसीन ब्लु डाईड (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत) की अधिकतम खुदरा विक्रय दर 28.50 रू प्रति लीटर (जी.एस.टी सहित) समस्त खर्चो को सम्मिलित कर निर्धारित की गई है। विभाग के आदेश कमांक एफ 30(1)खावि/केरोसीन/99 दिनांक 14/06/2006 एवं पत्र कमांक एफ 30 (1) खा.वि. केरोसीन/2001/दिनांक 23/01/2003 के निर्देशो की अनुपालना में खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 20 के अध्यधीन जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन की वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु माह जुलाई 2018 के लिये केरोसीन का रोस्टर/आवंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है।

पंचायत समितिवार/थोक विक्रेतावार केरोसीन का आवंटन/रोस्टर (मात्रा केएल में)

क्र.सं.	क्षेत्र	मैं त्रिपुरा एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, कुशलगढ	मैं सिद्धि विनायक केरोसीन थोक विक्रेता, गढी	मैं एट योर डोर केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाडा	मैं सुमतिलाल हजारीमल केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाडा	मैं सांवरिया एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, घाटोल	योग
1	नगर बांसवाडा	12.98	7.25	2.75	9.48	0.00	32.46
2	नगर कुशलगढ	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	3.52
3	पं. स. बांसवाडा/तलवाडा	0.00	0.00	0.00	66.77	0.00	66.77
4	पं. स. छोटी सरवन	0.00	0.00	0.00	25.30	0.00	25.30
5	पं. स. गढी/अरथुना	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00	81.84
6	पं. स. आनन्दपुरी	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61	38.61
7	पं. स. बागीदौरा/गांगडतलाई	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	60.50
8	पं. स. सज्जनगढ	0.00	0.00	43.89	0.00	0.00	43.89
9	पं. स. कुशलगढ	0.00	0.00	41.80	0.00	0.00	41.80
10	पं. स. घाटोल	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	78.98
	योग	78.98	89.09	91.96	101.55	99.11	460.69
	योग (कुल आवंटित)	84.00	84.00	84.00	96.00	96.00	444.00
	आरक्षित	5.02	-5.09	-7.96	-5.55	-3.11	-16.69

निर्देश :–

1. ऑयल कम्पनी द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं को उपरोक्त अंकित केरोसीन की आवंटित मात्रा में परिवर्तन की स्थिति में सम्बन्धित थोक विक्रेता समय पर केरोसीन वितरण से बचे हुए डीलरों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगा, ताकि उन्हे अन्य थोक विक्रेताओं से केरोसीन उपलब्ध करवाया जा सके। प्राप्त आवंटन की तुलना में वितरण सूची में केरोसीन की मात्रा अधिक होने पर पूर्व स्टॉक से आपूर्ति करेंगे।
2. बिन्दु संख्या 1 की पालना में पंचायत समितिवार रोस्टर के मुताबिक उचित मूल्य दुकानदारों को केरोसीन वितरण किया जावें।
3. बिन्दु संख्या 1 की पालना में नगर बांसवाडा एवं नगर कुशलगढ के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर केरोसीन तेल का उचित मूल्य दुकानदारों को वितरण किया जावें। जारी किये जाने वाले बिलों पर एफपीएस कोड आवश्यक रूप से अंकित किया जावेगा।
4. थोक विक्रेता संलग्न सारणी में आवंटित मात्रा के अनुसार ही खुदरा विक्रेताओं को करोसीन की आपूर्ति करेंगे। आवंटित मात्रा से कम/अधिक मात्रा की आपूर्ति नहीं की जावेंगी। यदि थोक विक्रेता को आवंटित मात्रा में परिवर्तन हो जाता है एवं उसे दिये गये रोस्टर से कुछ दुकानदारो को केरोसीन भरना संभव नही हो, तो उन दुकानदारों की सूची जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत करेगे, ताकि अन्य थोक विक्रेता को सूची दी जाकर केरोसीन भरवाया जा सके।
5. समस्त प्राधिकृत केरोसीन थोक विक्रेता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2009 जयपुर दिनांक 20/11/09 की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दैनिक सूचना नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा को प्रस्तुत करेंगे।
6. अधिकृत केरोसीन थोक विक्रेताओं द्वारा टेंकर क्रम संख्या अनुसार आपूर्ति किये गये केरोसीन की सूचना आगामी दिवस को सुबह जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार कार्यालयको संलग्न प्रारूप "ख" में प्रस्तुत की जावेंगी व प्रारूप "क" व "ग" में माह समाप्ति के 3 दिवस में सूचना प्रस्तुत की जावेगी। जिला रसद अधिकारी द्वारा आवंटित मात्रा Feast Portal पर अपलोड की जाकर Send to Pos की जायेगी।

7. खुदरा विक्रेता क्रमानुसार केरोसीन की प्राप्ति करेंगे एवं थोक विक्रेता केरोसीन खाली करने आये तब खुदरा विक्रेता खाली करवाने एवं भुगतान से इनकार नही करेंगे।

8. जिले मे प्रचलित राशनकार्डो के अनुसार 1.22 लीटर के अनुपात में 444 केएल केरोसीन आवंटित किया गया है। जिसे प्रति राशनकार्ड 2.5 लीटर केरोसीन वितरण किया जाना है।

9. खाद्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2013 दिनांक 28/01/2013 की अनुपालना में खुदरा विक्रेता एलपीजी गैस के डीबीसी एवं एस.बी.सी. गैस कनेक्शन धारकों को केरोसीन वितरण नहीं करेंगे। बिना गैस के राशनकार्ड धारियों को 2.5 लीटर तक प्रतिमाह केरोसीन की ही आपूर्ति करेंगे। केरोसीन उपभोक्ता को 28.50 रू. प्रति लीटर में नए डिजीटल राशन कार्डो पर विक्रय किया जावेगा। यह वितरण सतर्कता समिति से भौतिक सत्यापन करवाया जाकर दिनांक 16 से माह की अन्तिम तिथि तक उपभोक्ता पखवाडे के दौरान किया जावेगा। साथ ही अपने निवास से दूर अध्ययनरत छात्रों को उनके संस्था प्रधान द्वारा जारी राशन कार्डो पर प्रति राशन कार्ड 2.5 लीटर तक केरोसीन वितरण किया जावेगा। वितरण पश्चात सम्बन्धित संस्था प्रधानों से सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी माह का केरोसीन आवंटित किया जावेगा। अवशेष केरोसीन अपने स्टॉक में सुरक्षित रखा जावे।

10. श्रीमान शासन सचिव महोदय की अधिसूचना क्रमांक एफ 45 (75) खा.ले./नीति/केरो/2015–16 जयपुर दिनांक 02.07.2018 द्वारा केरोसीन ब्लु डाईड (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत) की अधिकतम खुदरा विक्रय दर 28.50 रू प्रति लीटर (जी.एस.टी सहित) समस्त खर्चो को सम्मिलित कर निर्धारित की गई है। प्रत्येक थोक विकेता माह की समाप्ति पर अंतर राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. केरोसीन का वितरण पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जावेगा।

12. नीले केरोसीन का खाना पकाने एवं प्रकाश व्यवस्था के अलावा अन्य उपयोग प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय है।

13. केरोसीन के उठाव व वितरण पर प्रवर्तन स्टाफ एव राजस्व विभाग के द्वारा पूर्ण निगरानी रखी जावेंगी एवं आदेश की पालना सुनिश्चित की जावेंगी।

14.आईओसीएल के केरोसीन टर्मिनल से केरोसीन टेंकर भरवाकर बांसवाडा आने पर टेंकर की टोल टैक्स की रसीदें प्रत्येक टेंकर की वितरण सूची के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्त आदेश का उल्लघंन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

जिला कलेक्टर (रसद),
बांसवाडा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सांसद महोदय, बांसवाडा– डूंगरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाडा।
3. जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, बांसवाडा।
4. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाडा/गढी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ।
5. प्रधान,-पंचायत समिति, बांसवाडा/तलवाडा/घाटोल/बागीदौरा/छोटी सरवन/कुशलगढ/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/अरथुना/गागडतलाई/गढी।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
7. उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा/कुशलगढ़/घाटोल/बागीदौरा/गढी/सज्जनगंढ/आनंदपुरी/छोटी सरवन।
8. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बांसवाड़ा को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
9. उपनिदेशक,सूचना प्रौद्यौगिकी एवं संचार बांसवाडा को वेब पोर्टल पर डालने हेतु।
10. आयुक्त नगर परिषद बांसवाडा/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कुशलगढ।
11. जिला प्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाडा
12. तहसीलदार, तहसील बांसवाडा/गढी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ ।
13. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा मु. तलवाड़ा / गढ़ी / घाटोल / बागीदौरा / आनन्दपुरी/सज्जनगढ़/कशुलगढ/ छोटी सरवन/अरथुना/गांगडतलाई/तलवाडा ।
14. संबधित प्रर्वतन अधिकारी कार्यालय हाजा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।
15. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सुमतिलाल हजारीमल, बांसवाडा।
16. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स एट योर डोर, बांसवाडा।
17. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सिद्धि विनायक गढी।
18. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स त्रिपुरा एजेन्सी, कुशलगढ।
19. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सांवरिया सप्लायर्स, घाटोल।
20. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला, बांसवाडा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/ निरीक्षक।
21. लेखा / वितरण शाखा।

जिला रसद अधिकारी,
बांसवाडा

DOIT